पुलिस मुख्यालय(अपराध अनुसंधान विभाग)म0प्र0भोपाल

क्रमांक/अअवि/विधि(1)विविध/6/06/767/2006 दिनांक 23.6.2006

प्रति,

:: परिपत्र ::

समस्त पुलिस अधीक्षक
मध्य प्रदेश
समस्त रेल पुलिस अधीक्षक
मध्य प्रदेश

विषयः—शासकीय सेवक के विरूद्ध पंजीबद्ध अपराधों में उनकी गिरफ्तारी एवं चालानी कार्यवाही के संबंध में ।

—0—

मध्य प्रदेश पंजीयन अधिकारी एवं कर्मचारी संघ ने अभ्यावेदन देकर इस तथ्य से अवगत कराया है कि संघ के अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कुछ जिलों में अपराध पंजीयन किये है जिनमें उनका कोई आपराधिक उत्तरदायित्व न होकर पंजीयन अधिनियम एवं नियमों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार अपना पदीय कर्त्तव्य किया है । यह सही है कि किसी भी शासकीय सेवक की गिरफ्तारी एवं उसके विरूद्ध चालान तभी किया जाना चाहिये जब उसके कृत्य के लिये उसका आपराधिक दायित्व उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित होता हो । भविष्य में किसी प्रकार की विषम परिस्थिति उत्पन्न न हो इसके लिये आपको निम्नानुसार निर्देश दिये जाते है :—

1— किसी भी शासकीय सेवक की गिरफ्तारी एवं चालान किये जाने के पूर्व विवेचना में यह सुनिश्चित किया जाय कि उसका कृत्य विभागीय नियमों की अवहेलना एवं अनियमितता का है अथवा आपराधिक प्रकृति का है ।

2— यदि अनुसंधान में शासकीय सेवक का कृत्य मात्र विभागीय नियमों—निर्देशों की अवहेलना का पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में संबंधित विभाग को कार्यवाही के लिये लिखा जाना चाहिये ।

3— यदि अनुसंधान में आये तथ्यों के आधार पर शासकीय सेवक का आपराधिक दायित्व बनता है तो उसकी गिरफ्तारी उपरांत चालान प्रस्तुत किया जाना चाहिये ।

कृपया शासकीय सेवकों के विरूद्ध पंजीबद्ध होने वाले अपराधों में उनकी गिरफ्तारी एवं चालान करने के पूर्व उपरोक्तानुसार कार्यवाही की सुनिश्चितता कर ली जावे ।

22/6

(एम.पी. द्विवेदी)
पुलिस महानिरीक्षक
अ0अ0वि0पु0मु0भोपाल

प्रतिलिपिः—1—समस्त रेंज पुलिस महानिरीक्षक मध्य प्रदेश की सूचनार्थ प्रेषित है ।
2—समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक मध्य प्रदेश की सूचनार्थ प्रेषित है ।

पुलिस महानिरीक्षक
अ0अ0वि0पु0मु0भोपाल